भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
कॉनकॉर CONCOR
आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग मोड)

कॉनकॉर द्वारा ऑनलाइन खुली एकल निविदा प्रणाली के अंतर्गत "उत्तरी क्षेत्र में ज़ोन-3 (यानी आईसीडी/लुधियाना, आईसीडी/धण्डारी, डीसीटी/फिल्लौर, आईसीडी/बद्दी एवं पीएसडब्ल्यूसी/धण्डारी में सिविल कार्यों की दिन प्रतिदिन मरम्मत और रख-रखाव" कार्य के लिए ई-निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज ऑनलाइन रु. 1000/- का भुगतान करने के बाद केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

निविदा संख्या	कॉन/उ.क्षे./अभि./Zone-3/2019
अनुमानित लागत	₹ 94.28 लाख (सभी मिलाकर)
पूर्णता अवधि	स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि के पश्चात 15वें दिन से 12 माह
धरोहर राशि जमा	₹ 1,88,560/-, ई-भुगतान द्वारा
दस्तावेज का मूल्य	₹ 1,000/- सभी करों एवं शुल्कों सहित, ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	₹ 5,310/- सभी करों एवं शुल्कों सहित, (अप्रतिदेय), ई-भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	10.10.2019 (11.00 बजे) से 30.10.2019 (17.00 बजे) तक
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	31.10.2019 को 15.00 बजे तक
खोलने की तिथि एवं समय	04.11.2019 को 15.30 बजे

ग्राह्यता मानदंडों तथा अन्य विवरण के लिए www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से वेबसाइट्स नियमित रूप से देखने का अनुरोध है। कॉनकॉर का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

मामले में,

ओए 514/2018

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम अनीता जग्गी एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादीगण

सेवा में,

डी-3. मै. उन्नती फार्चून होल्डिंग एलटीडी (बिल्डर एंड डेवलपर) द्वारा उसके निदेशकों, **पंजी. कार्यालयः** टी-07 एलएल-02, कामनवेल्थ गेम गाँव नई दिल्ली-110092, **साथ हीः** 1103-बी, हैली रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, कॉर्पो. ऑफः- बी-117, सेक्टर-67, नोएडा-201301, उ.प्र.

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 08.11.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, **25 सित.** 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

जनसत्ता हिन्दी, तिथि 14 मई, 2019 को पेज नं. 5 में प्रकाशित विज्ञापन के प्रकाशन के संदर्भ में यह विषय हिन्दी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में पूर्व में प्रकाशित की गई थी। हम, पुनः इसी विज्ञापन को हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी में प्रकाशित कर रहे हैं तथा लिमिटेड कम्पनी से प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में कम्पनी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जिस व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, उन्हें अपने दावे दाखिल करने के लिये आगे अवसर की स्वीकृति दे रहे हैं। दावे जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2019 है।

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए
समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

तथा

मै. शशि सिंह एण्टरप्राईजेज लिमिटेड (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः बी-8, मैग्नम हाउस 1, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, करमपुरा, नई दिल्ली-110005, आवेदक के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 10 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से

तिथिः 9 अक्टूबर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

नामः प्रकाश नारायण सिंह
पदनामः निदेशक
DIN: 00076392
पंजीकृत कार्यालयः बी-8, मैग्नम हाउस 1,
कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स,
करमपुरा, नई दिल्ली-110005

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23/04/2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U52390DL2008PTC177115
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	प्रॉपर्टी नं. बी-9, चौथी मंजिल, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली 110034
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	30.09.2019 (आदेश 07.10.2019 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	28.03.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**आरती बालूजा** **पंजीकृत सख्याः** IBBI/IPA-002/IP-N00780/2018-19/12378
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एच-34/100, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 **ईमेल आईडीः** ca.artibaluja@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	एच-34/100, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 **ईमेल आईडीः** irpfourfresh@cabaluja.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	21/10/2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक **30 सितम्बर, 2019** को **मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **21 अक्टूबर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि होम बायर्स श्रेणी का प्रपत्र सीए (श्रेणी का उल्लेख) में निर्दर्शित करेगा-लागू नहीं.

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
आरती बालूजा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 10 अक्टूबर 2019
स्थान : नई दिल्ली
पंजीकृत सख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00780/2018-19/12378

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	Rayan Laboratories Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	September 20, 2006
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, New Delhi
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U24234DL2006PTC211385
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Regd. Office:** 30/31, Basement Old Rajender Nagar New Delhi-60 (Not in use) **Principal Place:** Khasra No. 390, Matlab Pur, Roorkee, Uttrakhand
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	October 03, 2018
7	Date of invitation of expression of interest	October 07, 2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be obtained by sending email at susheelgupta@hotmail.com
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Details can be obtained by sending email at susheelgupta@hotmail.com
10	Last date for receipt of expression of interest	October 21, 2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	October 22, 2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	October 26, 2019
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	October 27, 2019
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	October 26, 2019
15	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The RP will share the Evaluation Matrix, Information Memorandum, RFRP via e-mail after verification of KYC, capacity to invest, eligibility to invest, eligibility under section 29A and prequalification criteria as approved by CoC.
16	Last date for submission of resolution plans	November 06, 2019
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form on email ID susheelgupta@hotmail.com and a hard copy in sealed envelope by speed post or hand delivery.
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	To be decided, but before November 14, 2019
19	Name and registration number of the resolution professional	Name: Susheel Kumar Gupta Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Name: Susheel Kumar Gupta Address: B-66, Second Floor, CC Colony, Opp. Rana Pratap Bagh, Delhi - 7 Email Id: susheelgupta@hotmail.com
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Email Id: susheelgupta@hotmail.com Address: Susheel Kumar Gupta, 103, First Floor, 7255, Ajindra Complex, Shakti Nagar, Delhi - 7 Susheel Kumar Gupta,
22	Further Details are available at or with	susheelgupta@hotmail.com
23	Date of publication of Form G	October 10, 2019

Susheel Kumar Gupta
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419
Regd. Address: B-66, Second Floor, C C Colony, Opp. Rana Pratap Bagh, Delhi - 7
Regd. E Mail Id: susheelgupta@hotmail.com
Resolution Professional for Rayan Laboratories Private Limited
Date: October 7, 2019 | **Place:** Delhi

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

मामले में,

ओए 467/2018/डीआरटी-III

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम **मयंक जैन एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादीगण**

सेवा में,

डी-1. मयंक जैन, निवासी 148, 2रा तल, गोपाल पार्क, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 **साथ हीः** मकान सं. 9, नीम चौराहा, फिरोजाबाद, **साथ हीः** सी-68, बेस्मेन्ट, सेक्टर-63, नोएडा-201301

डी-2. नवीन जैन, निवासी 148, 2रा तल, गोपाल पार्क, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 **साथ हीः** मकान सं. 9, नीम चौराहा, फिरोजाबाद, **साथ हीः** सी-68, बेस्मेन्ट, सेक्टर-63, नोएडा-201301

डी-3. मै. आइडिया बिल्डर्स प्रा. केएलटीडी (बिल्डर एंड डेवलपर) द्वारा उसके निदेशकों, **पंजी. कार्यालयः** सी-249, 1ला तल, निकट पार्क, विवेक विहार, नई दिल्ली-95

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 13.11.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, **25 सित.** 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई, दिल्ली -110001

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

निम्नलिखित के मामले में

ओ.ए. सं. 177/2019/डीआरटी-III

इण्डियन ओवरसीज बैंक (आवेदक) **बनाम** **पूर्वी हॉस्पिटैलिटी एवं अन्य** (प्रतिवादीगण)

सेवा में,

डी-1 **पूर्वी हॉस्पिटैलिटी, स्वामी श्री परवीन दहिया** के माध्यम से, 9ए-11 एवं 9ए-12, मेट्रो वॉक सेक्टर 10, रोहिणी, नई दिल्ली **अन्य पता** : वर्धमान प्लाजा 101-1-5, बीई प्रशांत विहार, पीवीआर मॉल के सामने, दिल्ली-110085 **अन्य पता** :- मकान न. 92, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, ब्लॉक एफ, पॉकेट III, सेक्टर 15, रोहिणी दिल्ली -110085

डी-2 **श्री परवीन दहिया पुत्र बलबीर सिंह** मकान नंबर 92, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, ब्लॉक एफ, पॉकेट III, सेक्टर 15, रोहिणी दिल्ली -110085

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **26-11-2019 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **06 सितंबर, 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड

NUCLEUS SOFTWARE
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालयः 33-35, त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन : +91-120-4031400; फैक्सः +91-120-4031672
ईमेल : investorrelations@nucleussoftware.com
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली/एनसीआर मेंः

क) 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों;

ख) 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय परिणाम बुधवार, 23 अक्टूबर 2019 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित किया जाएगा।

इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजो (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कृते **न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड**
हस्ता./-
पूनम भसीन
कम्पनी सचिव

दिनांक : 09 अक्टूबर, 2019
स्थान : नोएडा

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3
(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
पूर्व का विजया बैंक- अब बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रवाल टॉवर, हुडा चौक, पलवल शाखा, पलवल जिला, 121102 (भारत सरकार का उपक्रम)
दूरभाष : 01275-240371, ई-मेल : vb8329@vijayabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार श्रीमती अनुराधा पत्नी जय नारायण (कर्जदार) तथा श्री जय नारायण पुत्र श्री रामवीर (सह-कर्जदार) से 31.05.2019 तक सूचना में उल्लिखित बकाया रु. 19,92,027.46 (रुपये उन्नीस लाख बानवे हजार सत्ताईस और छियालीस पैसे मात्र) तथा 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/ जमानती तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 05 अक्टूबर, 2019 को कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार/ जमानती को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 31.05.2019 तक रु. 19,92,027.46 (रुपये उन्नीस लाख बानवे हजार सत्ताईस और छियालीस पैसे मात्र) की राशि तथा कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

म.नं. 165, वार्ड सं. 1, प्रकाश विहार कॉलोनी, निकट देहात बिजली बोर्ड, शहीद माही लाल स्मारक, पलवल-121101, हरियाणा पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी माप 689 वर्ग फीट है,

जिसकी सीमा

पश्चिम की ओरः सड़क
पूर्व की ओरः सतपाल सिंह का मकान
दक्षिण की ओरः हैप्पी सिंह का मकान
उत्तर की ओरः सोहन पाल सिंह का मकान

स्थानः पलवल **दिनांक : 05.10.2019** **अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड

(पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)
IDFC FIRST Bank
सीआयएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वी मंझील, हॅरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई - 600031.
दूरः +91 44 4564 4000 **फॅक्सः** +91 44 4564 4022. **प्राधिकृत अधिकारीः** रोहित दुदेजा/
संपर्क क्रमांकः + 91 - 7838324723

अपेंडिक्स-IV-ए [नियम 8 (6) का प्रावधान देखे]
अचल मालमत्ता के बिक्री के लिये बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढ़े जाने वाले सिक्युरीटायझेशन अँड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल अॅसेटस अँड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट, 2002 के अंतर्गत अचल मालमत्ता के बिक्री के लिये ई-निलामी सूचना

सामान्य जनता और खास कर के कर्जदार (दारों) और हमीदार (दारों) से इसके जरीये सूचना दि जा रही है की सुरक्षित धनको के पास गिरवी रखे गये/ प्रभारित किये गये नीचे दिये अधिक विस्तार से दिये गये अचल जायदाद का फिजिकल पझेशन कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड और अभी के आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने लिया है जिसकी बिक्री 29-10-2019 के दिन "जो है जहां है", "जो है जैसे है" और "जैसे है वैसे है" इस आधार पर **सौरभ बंसल, अशोक बंसल, सौरभ इंडिया प्रा.ल., सुनिता बंसल (कर्जदार-सहकर्जदार) से आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)** को बकाया राशी 09-04-2019 के अनुसार आयएनआर 2,66,97,422.43/- के पुनःप्राप्ती के लिये की जायेगी।

आरक्षित राशी आयएनआर 2,02,50,000/- (रुपये दो करोड दो लाख पचास हजार मात्र) और आयएनआर 20,25,000 (रुपये बीस लाख पचीस हजार मात्र) बकाया राशी रहेगी.

अचल जायदाद का वर्णन

जायदाद का पुरा पता- जायदाद का धारण किय हुवा नं. ई-345, ग्राउंड फ्लोर, सेड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश- II, गांव बहापूर नई दिल्ली- 110048 का सभी खंड और भूखंड जिसकी सीमायेः पूर्वः प्लॉट नं. ई-343, पश्चिमः प्लॉट नं. ई-347, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः रोड

बिक्री के शर्तों के पुरे ब्यौरे के लिये आयडीएफसी फर्स्ट बँक के वेबसाईट का याने की www.idfcfirstbank.com का संदर्भ ले.

टिप्पणीः इस जाहीर सूचना के जरीये 22.10.2019 के दिन होनेवली निलामी इस के जरीये रहित किया जा रहा है और इस सूचना की शर्तें वैध ही रहेंगी।

खंडनः इस सूचना को केवल अचल जायदाद के बिक्री के लिये [पारित किया गया है और आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड को अचल जायदाद की जगह यदी कोई चल जायदाद होती है तो उसके बिक्री का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है.

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 10-10-2019 **आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड**
(पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)

Subros Limited

Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001
Tel. 011-23414946-49, **Fax No.** 011-23414945
CIN No. L74899DL1985PLC020134
E-mail: rakesh.arora@subros.com **Website**: www.subros.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 22nd October, 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2019.

The details of the said meeting are also available on the website of the Company www.subros.com and on the website of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com and www.bseindia.com

For SUBROS LIMITED
Sd/-
Rakesh Arora
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 09.10.2019

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3
(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
पूर्व का विजया बैंक-अब बैंक ऑफ बड़ौदा
अग्रवाल टॉवर, हुडा चौक, पलवल शाखा, पलवल जिला, 121102
(भारत सरकार का उपक्रम) दूरभाष : 01275-240371
ई-मेल : vb8329@vijayabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार **श्री अमरनाथ पुत्र चन्द्रिका प्रसाद (कर्जदार) तथा श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी अमरनाथ ओझा (सह-कर्जदार)** से 31.05.2019 तक सूचना में उल्लिखित बकाया **रु. 12,03,139.62 (रुपये बारह लाख तीन हजार एक सौ उनतालीस और बासठ पैसे मात्र)** तथा 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 05 **अक्टूबर,** 2019 को कब्जा कर लिया है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 31.05.2019 **तक रु. 12,03,139.62 (रुपये बारह लाख तीन हजार एक सौ उनतालीस और बासठ पैसे मात्र)** की राशि तथा कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट सं. सी-327, भूतल, एस.आर.एस. सोसाइटी, सेक्टर-6, पलवल-121101, हरियाणा पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी माप 250 वर्ग फीट है,

जिसकी सीमा

पश्चिम की ओरः खाली भूमि
पूर्व की ओरः 30 फीट चौड़ी सड़क
दक्षिण की ओरः सेक्टर 5 एवं सेक्टर 6 की विभाजक सड़क
उत्तर की ओरः अन्य का फ्लैट

स्थानः पलवल दिनांकः 05.10.2019 अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
BRANCH - MALIWARA, GHAZIABAD.

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक मालीवाड़ा शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.07.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0. अंकित ट्रेडिंग कं0. श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरी राम गुप्ता, श्रीमती गीता अग्रवाल पत्नि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, श्री सुनील कुमार बिन्डल पुत्र श्री ग्यानचन्द्र बिन्डल खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 1,36,83,286.05/- (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख त्रियासी हजार दो सौ छियासी और पांच पैसा केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, मालीवाड़ा, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.- 1,41,51,951.54/- (रूपये एक करोड़ इकतालिस लाख इक्यावन हजार नौ सौ इक्यावन और चउवन पैसा केवल) दिनांक 30.09.2019 अदा करने को तथा उस पर ब्याज दिनांक 01.10.2019 को अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

1. प्लॉट नं0. 409, वर्तमान नं0. 755, तुराब नगर, किराना मण्डी, गाजियाबाद जिसकी माप 54.34 स्क्वेयर मीटर मालिक श्रीमति गीता अग्रवाल पत्नि श्री संजीव कुमार अग्रवालऔर श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरि राम गुप्ता। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में अन्य सम्पत्ति, **दक्षिण** में प्रॉपर्टी प्लॉट नं0. 410 की, **पूर्व** में अन्य सम्पत्ति और **पश्चिम** में लेन।
2. प्लॉट नं0. 426, पुराना प्लॉट नं0. 15, तुराब नगर, किराना मण्डी, गाजियाबाद जिसकी माप 17.999 स्क्वेयर मीटर मालिक श्रीमति गीता अग्रवाल पत्नि श्री संजीव कुमार अग्रवालऔर श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरि राम गुप्ता। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में अन्य सम्पत्ति, **दक्षिण** में अन्य सम्पत्ति, **पूर्व** में लेनऔर **पश्चिम** में अन्य सम्पत्ति।

दिनांकः 04.10.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः मालीवाड़ा। **सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय**

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

TATA
सम्पर्क का पताः 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में

1. स्टुडियो बिस्ता एनिमेशन पी. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री विजय शर्मा, ए-1, रिंग रोड, रजौरी गार्डन, दिल्ली-110027
साथ हीः सी-77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026
2. श्रीमती प्रेमा शर्मा, उर्फ प्रेम कान्ता
सी-62, दूसरा तल, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
3. मै. त्रिअम्बके इन्फो टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री विजय शर्मा, ए-1, रिंग रोड, रजौरी गार्डन, दिल्ली-110027
साथ हीः सी-77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026
4. श्री विजय शर्माः सी-77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026
साथ हीः सी-62, दूसरा तल, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
5. श्रीमती स्मिता शर्मा, सी-77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026
साथ हीः सी-62, दूसरा तल, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

प्रिय महोदय/महोदया,

एलएएन 4844779 में 26.4.2015 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 10 सितम्बर, 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 4844779 में रु. 1,71,90,608.71 (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख नब्बे हजार छः सौ आठ तथा पैसे इकहतर मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 सितम्बर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 11 सितम्बर, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 4844779 के अंतर्गत 10 सितम्बर, 2019 को रु. 1,71,90,608.71 (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख नब्बे हजार छः सौ आठ तथा पैसे इकहत्तर मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

कम्पनी ने मांग सूचना तिथि 5 सितम्बर, 2018 के माध्यम से धारा 13(2) के अंतर्गत आपके विरुद्ध सरफैसी कार्रवाई शुरू की तथा सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-77, (दूसरे तल को छोड़कर) शिवाजी पार्क,पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 (जिसका विशेष विवरण सम्पत्ति की अनुसूची में वर्णित है) के विरूद्ध सरफैसी कार्रवाई शुरू की गई।

आपके द्वारा की गई अनुरोध तथा आंशिक राशि के भुगतान का विचार करते हुए टीसीएफएसएल ने एक सम्पत्ति, प्रथम तल, प्लॉट नं. सी-77, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 को रिलीज कर दिया।

कि, यहाँ ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों में से भूतल, प्लॉट नं. सी-77, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 का कम्पनी में मार्टगेज कायम रहा तथा ऋण सुविधा की अनवरतता के दौरान अनुरोध की प्राप्ति पर शेष को मुक्त कर दिया गया, अतः अधिनियम के अंतर्गत आपको जारी की जा रही वर्तमान सूचना का वह भाग नहीं है। कन्टीन्यूइंग सिक्युरिटी कम्पनी में बनी रही जिसका विशेष रूप से सम्पत्ति की अनुसूची में विवरण दिया गया है।

कि, आपने ऋण अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का समग्र रूप से उल्लंघन किया है तथा इस प्रकार की चूक के कारण कम्पनी ने एक बार पुनः 7 सितम्बर, 2019 को आपकी खाता को एनपीए घोषित कर दिया है।

संपत्तियों की अनुसूची

शिवाजी पार्क, नई दिल्ली-110026 के नाम से विदित स्वीकृत कॉलोनी में स्थित सम्पूर्ण भूतल, प्लॉट नं. सी-77, कुल क्षेत्रफल माप 554 वर्ग यार्ड्स के फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट पर निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति के भाग में पश्चिमी दिशा के आधे भाग, माप 277 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित जिसका विस्तृत विवरण बुक नं. 1, बॉल्यूम नं. 25, पेज नं. 205-208 में 12.2.1955 को दस्तावेज सं. 1665 के रूप में पंजीकृत, पंजीकृत कॉन्वियंस डीड तिथि 11 फरवरी, 1955 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. सी-78, पूर्वः कम्पनी की भूमि, पश्चिमः रोड।

चूंकि सूचना 11 सित., 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 10.10.2019 **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

यूपी होटल्स लिमिटेड

CIN: L55101DL1961PLC017307
पंजीकृत कार्यालयः 1101, **सूर्य किरण,** 19, **कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-**110001
फोन.: 011-23722596-8, **फैक्सः** 011-23312990
ईमेल.: clarkssuryakiran@yahoo.co.in वेबसाईटः www.hotelclarks.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सित., 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

यूपी होटल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
प्रकाश चन्द्र प्रुस्ती (कम्पनी सचिव)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 31.10.2018

JSL JINDAL STAINLESS
जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड

CIN: L26922HR1980PLC010901
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडीः investorcare@jindalstainless.com
वेबसाइट : www.jslstainless.com

सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

कम्पनी के प्रति शेयर 10/- रुपये अंकित मूल्य के पुराने इक्विटी शेयर (9.3.2004 से पहले जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
419337	रूपल शैलेशकुमार गांधी केशवलाल ठाकरसी गांधी	221045	22033631-22033637	7
87370	मूर्ति देवी	213701	21594021-21594052	32
416791	एम. गुनापाला पड़िवाल	220302	22023195-22023209	15

कृते **जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड**
हस्ता/-
(नवनीत रघुवंशी)
कम्पनी सचिव

तिथि : 9 अक्टूबर, 2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज-I) प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज-I) प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15 अक्टूबर, 2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	CIN: U45203HR2012PTC047422
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	आरओसी कम्पनी मास्टर डैटा के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः 510, 5वाँ तल, एबीडब्ल्यू टावर, ईफको चौक, एमजीरोड, गुड़गाँव, हरि 122002, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	7 अक्टूबर, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	4 अप्रैल, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	वनित कुमार मित्तल पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01483/2018-19/12252
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः सी-2495, बेसमेन्ट, सुशांत लोक-1, गोल्ड सॉक मॉल के निकट, गुड़गाँव, हरियाणा-122002 ईमेलः vanit.mittal@vmtcorpadvisors.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः सी-2495, बेसमेन्ट, सुशांत लोक-1, गोल्ड सॉक मॉल के निकट, गुड़गाँव, हरियाणा-122002 ईमेलः vanit.mittal@vmtcorpadvisors.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	21 अक्टूबर, 2019
12.	क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ ने 7 अक्टूबर, 2019 को कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज-I) प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज-I) लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं.10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 21 अक्टू. 2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं-आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 9 अक्टूबर, 2019 **वनित कुमार मित्तल**
स्थानः गुड़गाँव **अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल**

एलसीआरडी/ नई दिल्ली प्रभाग
फेडरल टावर 2/2, प्रथम तल, पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008,
फोन नं.: 011-4073390, 981, 982

फेडरल बैंक
आपका संपूर्ण बैंकिंग पार्टनर

रेफ. नं. एनडीएलडब्ल्यू/एसपीएल-/ 2019 **तिथिः 9.10.2019**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. श्री सिंह राम, पुत्र श्री रोहताश सिंह
2. श्रीमती सुमन, पत्नी श्री सिंह राम
3. श्री विजय पाल, पुत्र श्री बलबीर
सभी निवासीः एच.नं. 19, कैलन पन्ना गांव, टिकड़ी कलान, दिल्ली-110041

आप में 1 ने प्रधान ऋणधारक के रूप में तथा आप में 2रे ने सह-देनदार एवं आप में 3रे ने गारन्टरों के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद बहादुरपुर में उसकी शाखा के माध्यम से द फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अल्वाये में है, (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) से 17.4.2015 को रु. 6.00 लाख (रुपये छः लाख मात्र) की फेडरल एग्री मोबाईल ऋण की सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप में 1 ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः-

हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण

1) ब्रैण्ड न्यू हॉलैण्ड ट्रैक्टर (मॉडल 3630) पंजीकरण संख्या HR 13H- 8311, चैसिस नं. एनएच 2273228, इंजिन नं. 131303 डी

श्री सिंह राम ने बहादुर शाखा से खाता नं. 15875500000391 के अंतर्गत एफकेसीसी भी प्राप्त की है। यह खाता भी एनपीए की स्थिति में है। इस खाता में रु. 4,20,461/- की राशि 31.3.2019 को बकाया है।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक के बहादुरगढ़ शाखा में आपकी फेडरल एग्री मोबाईल ऋण खाता 15876600000158 के अन्तर्गत 29.3.2019 को रु. 1,77,632/- (रुपये एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ बत्तीस मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर-प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आप सभी सह-देनदार/ सह-ऋणधारक के रूप में तथा कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में बैंक को बकाये का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 29.3.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 10.88% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना 7 सितम्बर, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

आज, 9 अक्टूबर, 2019 को। **द फेडरल बैंक लि. के लिए, सहायक उपाध्यक्ष**
तिथिः 9 अक्टूबर, 2019 **(सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)**